बिहार लोक सेवा आयोग 15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना — 800001

विज्ञापन संख्या—05/2021, अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार के अन्तर्गत सहायक अंकेक्षण अधिकारी (बिहार अंकेक्षण सेवा) के 138 (एक सौ अड़तीस) रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त 138 पदों की कोटिवार विवरणी निम्नलिखित है :—

(क)

क्र. सं.	कोटि	पदों की कुल संख्या	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप कुल पदों में से महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अनारक्षित	54	19
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	14	04
3.	अनुसूचित जाति	22	08
4.	अनुसूचित जनजाति	02	00
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	25	09
6.	पिछड़ा वर्ग	17	06
7.	पिछड़े वर्ग की महिलाएँ	04	N/A
	कुल	138	46

(ख)

-/	रवतंत्रवा सेवानियों के पोवा /	
2.	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/ पोती/नाती/नतीनी के लिए	
	आरक्षित (2%) कुल पदों की संख्या	03

 3. दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 04 (चार) प्रतिशत आरक्षित कुल पदों की संख्या-06

 (i) दृष्टि बाधित (VI)
 02

 (ii) मूक बधिर (DD)
 02

 (iii) चलन दिव्यांगता (OH)
 01

 (iv) मनोविकार/बहुदिव्यांग
 01

2. वेतनमान :- वेतन स्तर-7

- 3. शौक्षणिक योग्यताः वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। एम0बी0ए0 (वित्त), सी0ए0, आई0सी0डब्लू0ए0 और सी0एस0 डिग्रीधारी इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। नोटः – शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि–15.05.2021 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रदद कर दी जायेगी।
- 4. <u>उम्र सीमा</u> :- दिनांक 01.08.2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम अनारक्षित (पुरूष)- 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित (महिला)- 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)- 42 वर्ष।
- (i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक– 2374, दिनांक–16.07.2007 के आलोक में ऐसे नियमित सरकारी सेवक, जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अम्यर्थी बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं, जिन्होने निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिया है।

- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–13062, दिनांक–12.10.2017 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- (iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक– 2447, दिनांक–06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्सबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

5. <u>चयन प्रक्रिया</u> – प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य (लिखित) परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर की जायेगी। प्रारम्भिक परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा, जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का है।

प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

मुख्य (लिखित) परीक्षा तीन विषयों की होगी, जिसमें दो अनिवार्य विषय क्रमशः सामान्य हिन्दी —100 अंक तथा सामान्य अध्ययन (दो पत्र), प्रत्येक पत्र 300 अंकों के होंगे, इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। प्रत्येक वैकल्पिक विषय का एक पत्र ही होगा, जो 300 अंकों का होगा, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:—

क्र.	विषय	अवधि	पूर्णांक
सं.			
1.	अनिवार्य विषय		
	1. सामान्य हिन्दी	3:00 घंटा	100 अंक
	2. सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र	3:00 घंटा	300 अंक
	3. सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र	3:00 घंटा	300 अंक
2.	वैकल्पिक विषय		
	(इनमें से किसी एक विषय	3:00 घंटा	300 अंक
	का चयन करना होगा)		
	(1) वाणिज्य		
	(2) अर्थशास्त्र		
	(3) गणित		
	(4) सांख्यिकी		

नोट 1:--उपर्युक्त अंकित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम वही होगा, जो संयुक्त प्रतियागिता परीक्षा के लिए निर्धारित है। उक्त विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट <u>www.bpsc.bih.nic.in</u> पर उपलब्ध है।

- नोट 2:-साक्षात्कार का पूर्णांक 120 अंकों का होगा।
- (क) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक–16.07.2007 एवं पत्रांक–6706, दिनांक– 01.10.2008 द्वारा निर्देशित है कि <u>सामान्य हिन्दी में अर्हतांक 30</u> <u>अंक है, जो अनिवार्य है, किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ उसकी</u> <u>गणना नहीं की जायेगी।</u> शेष विषयों में समेकित रूप से सामान्य श्रेणी के लिए चालीस प्रतिशत (40%), पिछड़ा वर्ग के लिए साढ़े छत्तीस प्रतिशत (36.5%), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए साढ़े छत्तीस प्रतिशत (36.5%), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए चौंतीस प्रतिशत (34%) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए बत्तीस प्रतिशत (32%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार प्रतियोगिता से बाहर हो जायेंगे।
- (ख) मुख्य (लिखित) परीक्षा में सम्मिलित एवं उनके द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेधा सूची के आधार पर सफल घोषित उम्मीदवारों का साक्षात्कार होगा, जिसके लिए 120 अंक निर्धारित है। मुख्य (लिखित) परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेधा सूची बनायी जायेगी एवं अंतिम परीक्षाफल नियमानुसार घोषित किया जायेगा।
- (ग) मेधा सूची:- उम्मीदवारों की संयुक्त मेधा सूची मुख्य (लिखित) परीक्षा एवम् साक्षात्कार के प्राप्तांकों के जोड़ के आधार पर तैयार की जायेगी, जिसमें दो उम्मीदवारों के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मुख्य (लिखित) परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करनेवाले उम्मीदवार को मेधा-क्रम में ऊपर रखा जायेगा। मुख्य (लिखित) परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में वैकल्पिक विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा-क्रम निर्धारित होगा। वैकल्पिक विषय का प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले जन्म तिथि समान होने पर जिस उम्मीदवार का नाम देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार पहले आता हो, उन्हें मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

आरक्षणः

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :--
 - (a) जाति प्रमाण—पत्र
 - (b) स्थायी निवास / मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र
- (B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल (डोमिसाइल) निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाम देय नहीं होगा।

(iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप आरक्षण कोड के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि का आरक्षण कोड निम्नवत् है :--

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	आरक्षण कोड
1.	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	SC
2.	अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)	ST
3.	अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS

- (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–13062, दिनांक– 12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगो को इस विज्ञापन की कंडिका 1(ग) में वर्णित रिक्ति के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैध दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2342, दिनांक– 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन की कंडिका 1(क) में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2526, दिनांक– 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों है, के पेंशन स्वीकृत जिन्हें केन्द्र द्वारा पोता/पोती/नाती/नतीनी को इस विज्ञापन की कंडिका 1(ख) में वर्णित रिक्ति के अनुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/ नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक– 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन की कंडिका 1(क) (2) में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण देय होगा।

- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक– 16144, दिनांक– 28.11. 2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/ प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- नोट:-(1) ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार की छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाम देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार की छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।
- नोटः—(2) साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय निम्नलिखित प्रमाण—पत्र मूल में (Original copy) सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा—
 - मैट्रिक का प्रमाण–पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।
 - २. स्नातक डिग्री प्रमाण–पत्र (विज्ञापन की कंडिका–3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
 - अंक पत्र (विज्ञापन की कंडिका–3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
 - 4. एम0बी०ए० (वित्त), सी०ए०, आई०सी०डब्लू०ए० और सी०एस० डिग्री संबंधित प्रमाण–पत्र (विज्ञापन की कंडिका–3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप, संबंधित विषय में)।
 - 5. पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
 - 6. पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)। (दावा करने की स्थिति में)।
 - 7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
 - 8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
 - 9. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
 - 10 दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध तत्संबंधी प्रमाण पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
 - 11.बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार के

नियमित सरकारी सेवक हैं, जिन्होने निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिया है।

- 12. भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
- 13. स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
- 14. केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

15. पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।

16. हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।

उपर्युक्त प्रमाण—पत्र साक्षात्कार के समय मूल में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित⁄रदद् होगी तथा आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

7. शुल्क :-

(i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए– 600 / – (छः सौ) रूपये

(ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए– 150/– (एक सौ पचास)रूपये

(iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित⁄अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए– 150⁄– (एक सौ पचास) रूपये

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए– 150/– (एक सौ पचास) रूपये

(v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए– 600/– (छः सौ) रूपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में अधिसूचित राशि लौटाई नहीं जायेगी।

वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और मविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित

-3-

किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

8. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

1	ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	
2.	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक—15.05.2021

 (ii) ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। (A) रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को Edit करने का

- (A) राजस्ट्ररान पर पांच राजस्ट्ररान ठाउन का प्रवार करने Option रहेगा, जो Payment करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी किसी भी प्रविष्टि (नाम, पिता/पति/माता, आरक्षण कौटि इत्यादि) को Edit करने का प्रावधान रहेगा।
- (B) Payment करने एवं आवेदन के Final Submission किये जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गयी प्रविष्टि को पुनः Edit कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद एक सप्ताह (दिनांक—24.05.2021 तक) का समय दिया जायेगा।

परन्तु वे निम्न प्रविष्टियों में परिवर्तन नहीं कर सकेंगेः—

(i) जिन प्रविष्टियों से Fee का निर्धारण प्रभावित होता है:--

- (क) बिहार के मूलवासी Female अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद बिहार के मूलवासी Female होने के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।
- (ख) बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।
- (ग) 40% अथवा उससे अधिक प्रतिशत दिव्यांगता वाले Disabled Category के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद दिव्यांगता के प्रतिशत के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।
- (ii) Payment करने के बाद अभ्यर्थी को नाम, पिता/ पति/माता के नाम में Edit करने का अवसर नहीं मिलेगा। उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं को छोड़कर शेष Fields में अभ्यर्थी वाछित परिवर्तन कर सकेंगे।

वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने गैर–रियायती परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए आवेदन किया है, यदि वे बाद में Edit करके रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में जाते हैं, तो उनके द्वारा Examination Fee के भुगतान की गयी अधिक राशि वापस नहीं होगी। वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का लाभ लेते हुए ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और वे Edit करके दूसरे गैर–रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में आवेदन करना चाहते हैं, वे नये Mobile No. एवं Email ID के माध्यम से नये सिरे से रजिस्ट्रेशन तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण करेगें। पूर्व में उनके द्वारा भुगतान की गयी रियायती परीक्षा शुल्क की राशि वापस नहीं होगी।

ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- (iii) उम्मीदवार डैश बोर्ड पर अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क का विवरण इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करेंगे।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।
- (v) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
- (vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (vii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (viii) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवघान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/ Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

- (x) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा अभ्यर्थी/आवेदक को प्रवेश- पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा. और न ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।
- (xi) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास ऑनलाईन आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

<u>महत्वपूर्ण निर्देश</u>:–

(i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा सत्यापन के समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण–पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण–पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।

- 10. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा।
- योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है।
- 12. अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल में साक्षात्कार के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र मूल में साक्षात्कार के समय प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित/रद्द होगी तथा आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- 13. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट <u>www.bpsc.bih.nic.in</u> पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
- 14. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट <u>www.bpsc.bih.nic.in</u> पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- 15. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की

त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

> "नु.५·२१ संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।